भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2015 का नौमनि आदेश संख्या 03

फाइल संख्या: सीआर/ विविध/1/2009 दिनांक: 04.09.15

विषय: वाणिज्य पोत परिवहन में रसोइए के तौर पर सक्षमता प्रमाणपत्र – संबंधी.

वर्ष 2012 के नौमनि आदेश संख्या 7 (फाइल नंबर सीआर/विविध/1/2009) दिनांक 17.12.12 और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को क्रमिक रूप से आसान करने के लिए अनुवर्ती रूप से उस संबंध में जारी किए गए दिनांक 22.03.13 के इस कार्यालय के नौमनि ओदश 7/2013 (फाइल नंबर सीआर/विविध/1/2009) शुद्धि पत्र को जारी कर, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए रसोइए के तौर पर सक्षमता प्रमाण पत्र (सीओसी) हेतु आवेदन करने के पात्रता मानदंडों को परिशोधित किया गया.

2. समुद्रीय श्रम कन्वेन्शन (एमएलसी) 2006, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के हर सदस्य राष्ट्र पर यह बाध्यकारिता डालता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रसोइयों के तौर पर वाणिज्य पोत परिवहन के पोतों पर नियोजित समुद्रकर्मियों की जिम्मेदारी वहां खाना बनाने की हो, उन्हें इस तरह से पोत पर उनके कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा और योग्य बनाया जाएगा. नौवहन उद्योग ने उद्योग में इस तरह के प्रमाणित रसोइयों की कमी के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है.

3. इस तरह के रसोइयों की कमी है जिन्होंने वाणिज्य पोत पर पोतस्थ रसोइए के रूप में छह मास की समुद्री सेवा के साथ नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान से समुद्रीय केटरिंग (सीसीएमसी)/सलून रेटिंग में नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस), भारत सरकार से अनुमोदित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो. यह समुद्रीय केटरिंग में पाठ्यक्रम है (सीसीएमसी) जो कि नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जो कि एमएलसी, 2006 के मानक ए 3.2 के विनियम के परिच्छेद 3 और परिच्छेद 3 और 4 में यथा विहित रूप से रसाइए के प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु अपेक्षाओं को पूरा करता है.

4. इसलिए, पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त दिनांक 22.03.13 वर्ष 2013 के नौमनि आदेश संख्या 7 (फाइल नंबर सीआर/विविध/1/2009) के परिच्छेद 3.1 के अंतर्गत उक्त पात्रता मानदंडों को अन्य आवश्यक परिवर्तनों के साथ संशोधित किया गया है और इसे निम्नोक्त रूप से पढ़ा जाए.

4.1 वाणिज्य पोत (तों) के केटरिंग विभाग में 6 मास की समुद्री सेवा के साथ नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान से समुद्रीय केटरिंग (सीसीएमसी/सलून रेटिंग) में नौमनि, भारत सरकार अनुमोदित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो.

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यह आगामी आदेशों तक लागू रहेगा.

(दीपक शेट्टी)
नौवहन महानिदेशक एवं
पदेन अपर सचिव भारत सरकार.